

**Session : 7**

**Date : 21-02-2006**

**Participants : Singh Shri Rakesh**

Title : Reported misleading facts about the Supreme Court's verdict in a documentary captioned "Gandhiji Hum Sharminda Hai" telecast by DD – I on 30 January, 2006.

**श्री राकेश सिंह (जबलपुर) :** उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बहुत ही गम्भीर विषय की तरफ आपका और सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। अभी हाल ही में महात्मा गांधी पर 30 जनवरी, 2006 को देश के राष्ट्रीय चैनल डी.डी.-1 ने एक डॉक्यूमेंटरी प्रसारित की, जिसका नाम था "गांधी जी हम शर्मिन्दा हैं"। यह अत्यंत गम्भीर बात है कि इसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को सीधे तौर पर गांधी जी का हत्यारा बताया गया है। जब गांधी जी की हत्या हुई थी तो पूरा देश इस घटना से दुखी था और आज भी दुखी है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं हुआ कि उनकी हत्या के 58 वर्षों के बाद भी भ्रामक और तथ्यहीन बातें स्थापित करने का प्रयास किया जाए और देश को गुमराह किया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक महत्वपूर्ण बात की तरफ सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ कि गांधी की हत्या के बाद माननीय पंजाब उच्च न्यायालय की तीन सदस्यीय पीठ का एक निर्णय आया था, जिसका निर्णय यह है कि गांधी की हत्या हजारों लोगों द्वारा रचा गया कोई देशव्यापी षड्यंत्र नहीं था, बल्कि यह कुछ लोगों तक सीमित था और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का इससे कोई नाता नहीं था। यह उच्च न्यायालय का निर्णय है और उस निर्णय के उपरान्त इस तरह की टिप्पणी एक राष्ट्रीय चैनल पर आना न सिर्फ अनुचित है, बल्कि यह उच्च न्यायालय की अवमानना भी है। मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि जस्टिस खोसला, जो पंजाब उच्च न्यायालय की तीन सदस्यीय पीठ के सदस्य थे, उन्होंने अपनी पुस्तक "मर्डर ऑफ महात्मा एंड केसिज फ्रॉम जजेज नोट बुक" में इस बात का उल्लेख किया है कि गांधी जी की हत्या में संघ की कोई भूमिका नहीं थी। इतना ही नहीं इसके 19 वर्षों के बाद लगातार कई बार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को कटघरे में... (व्यवधान)

**श्री मधुसूदन मिस्त्री (साबरकंठा) :** यह असत्य बोल रहे हैं, सदन को गुमराह कर रहे हैं।

MR. DEPUTY-SPEAKER : This is not to be recorded. Nothing excepting the speech of Shri Rakesh Singh will be recorded.

*(Interruptions)\* ...*

MR. DEPUTY-SPEAKER : What are you doing? Please sit down.

*(Interruptions)\* ...*

श्री राकेश सिंह : इन जैसे लोगों के कारण ही बार-बार देश में भ्रम का वातावरण बनता है। मैं कहना चाहता हूँ ये देश को गुमराह कर रहे हैं।...(व्यवधान) इसलिए इस बात को सदन में नहीं आने देना चाहते हैं। 19 वॉ तक...(व्यवधान) आप लोगों ने ही पूरे देश को गुमराह किया है।...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप क्या कर रहे हैं।...(व्यवधान)

श्री राकेश सिंह : अभी आप आगे सुनिये, जो मैं कहना चाहता हूँ। आप लोगों ने पूरे देश को गुमराह किया है। 19 वॉ के पश्चात् कई बार कटघरे में खड़ा करने का प्रयास हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : आप समाप्त कीजिए।

श्री राकेश सिंह : मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय : आपकी डिमांड क्या है?

श्री राकेश सिंह : उसके माननीय न्यायमूर्ति श्री कपूर की अध्यक्षता में कपूर आयोग का गठन किया गया IÉE[R68]।...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आपका रिकार्ड में कुछ नहीं आ रहा है।

...(व्यवधान)

श्री राकेश सिंह : कपूर आयोग ने 101 साक्ष्यों के बयान दर्ज किए तथा 407 दस्तावेजी सबूतों की छानबीन कर 1969 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। उन्होंने जो कहा था, वह मैं आपको बताना चाहता हूँ।...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : राकेश सिंह जी, आप क्या चाहते हैं, डिमांड क्या कर रहे हैं, वह आप बताएं?

...(व्यवधान)

श्री राकेश सिंह : महोदय, मैं अपनी पूरी बात कहना चाहता हूँ। उन्होंने अपने बयान में कहा है कि यह साबित नहीं हुआ है कि वे, अर्थात् अपराधीगण संघ के सदस्य थे। वे संघ की गतिविधियों से संतुष्ट नहीं थे। संघ के खेलकूद, शारीरिक व्यायाम आदि को वे व्यर्थ मानते थे। वे अधिक उग्र और हिंसक गतिविधियों में विश्वास रखते थे। यह कपूर आयोग की रिपोर्ट खंड 1, पृष्ठ 165 में कहा गया है। उसके बाद कपूर आयोग के खंड 1, पृष्ठ 186 में जो उल्लेख है...(व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: No, this is not correct. Please sit down.

... *(Interruptions)*

SHRI MADHUSUDAN MISTRY : Sir, this should not go on record.

श्री राकेश सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अंतिम बात कह कर अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ। इससे साबित होता है कि इस आयोग ने भी यह मान लिया कि गांधी जी की हत्या में कहीं भी संघ का कोई हाथ नहीं था।

महोदय, इस तरह की बातें बार-बार करना यह साबित करता है कि यह साजिश है।...(व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please sit down.

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मिस्त्री जी, आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Nothing will go on record.

*(Interruptions)\* ...*

श्री राकेश सिंह : महोदय, मैं कहना चाहता हूँ कि इसके पीछे जो भी लोग हैं, उन्हें केन्द्र सरकार सामने लाए। इसमें जो मंत्री या अधिकारी शामिल हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जानी चाहिए।...(व्यवधान) यह न सिर्फ देश को गुमराह करना है, बल्कि न्यायालय की अवमानना भी है। धन्यवाद।...(व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Next is Shri Ganesh Singh. Mr. Singh, please try to conclude within one minute's time.